न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

मिशल संख्याः– 272/2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

मंदिर देवजी जरिये पुजारी

1. रामनाथ पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गोपाल पुत्र सोनाराम जाति गुर्जर निवासी बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. शैतान पुत्र नाथू जाति गुर्जर निवासी बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. राजेश पुत्र हेमराज जाति गुर्जर निवासी बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री सत्यनारायण धाकड़

अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 174 खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.62 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम बड़ला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर देव जी के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसके प्रार्थीगण पुजारी हैं। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का

Scanned with OKEN Scanner

श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान त
देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- उक्त आ
मंदिर देवजी के नाम दर्ज है एवं पुजारियों को कब्जा है। किसी पड़ोसी खातेदार
पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन नह
है । आवेदक का जिन खातेदारों से विवाद है, उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।
आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर राजकीय अतिक्रमीत भूमि नहीं है। पूर्व
सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी मंदिर देव जी के नाम दर्ज है। मंदिर देवजी शाश्वत नाबालिग मूर्ति है जिनकी खातेदारी भूमि की देखरेख करना तहसीलदार का भूमि धारक होने के नाते दायित्व बनता है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार नहीं होने के बावजूद किस बिनाह पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, यह स्पष्ट नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः-प.6 (17)प्र.सु/अनु3/2002 दिनांक 07.12.2009 के अनुसार राजकीय मन्दिरों/धार्मिक पूजा स्थलों के प्रबंधन बाबत् निर्देश जारी किए गए है। अतः तहसीलदार को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत <u>2071-2074</u> में अंकित खाता संख्या 174 खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.42 है0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 1435 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1511 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.62 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.41 है0 वाके ग्राम बड़ला तहसील देवली की विधिवत् सीमाज्ञान कर, पत्थरगढी करे। यदि किसी भी दीगर व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था का कब्जा पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/2/23

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner